International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue **3**, Ma**rch**- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

ट्रांसजेंडर के अधिकारों के लिए भारतीय न्यायपालिका की भूमिका

साहिबजादा डॉ सोलत अली खान
सह आचार्य फारसी
निदेशक अरबी फारसी शोध संस्थान,टोंक(राजस्थान)

सारांश

ट्रांसजेंडर लोग वे लोग हैं जिनकी लिंग पहचान उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती है। भारत में, ट्रांसजेंडर लोगों को अक्सर भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, हाल के वर्षों में , भारतीय न्यायपालिका ने ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।'ट्रांसजेंडर' 1970 के दशक में गढ़ा गया एक छत्र शब्द है , जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनकी लिंग पहचान, अभिव्यक्ति या व्यवहार जन्म के समय सेक्स से जुड़े सामाजिक लिंग मानदंडों के अनुरूप नहीं है। उन लोगों के अलावा जो जन्म के समय सौंपे गए लिंग से अलग लिंग के रूप में पहचाने जाने की इच्छा रखते हैं और यहां तक कि अपनी शारीरिक रचना को संरेखित करने के लिए सर्जिकल विकल्प भी अपनाते हैं। अपनी लैंगिक-पहचान के साथ, कुछ लोग स्वयं को 'लिंग' के बीच में आने वाला मान सकते हैं, हो सकता है कि एक या दूसरे लिंग के लिए सख्ती से अपनी पहचान न बना सकें और न तो पूरी तरह से पुरुष और न ही महिला के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। हालांकि दैनिक जीवन में ट्रांसजेंडर लोगों की दृश्यता बढ़ रही है , फिर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है , उनका अपमान किया जाता है और उन्हें पददलित किया जाता है। ट्रांसजेंडर लोगों के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों में से एक यह है कि ऐसे समाज में सामान्य जीवन कैसे जिया जाए जो कठोर लिंग मानदंडों और विश्वासों को बनाए रखता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ में। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल ट्रांसजेंडर को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता दी थी बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों को विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के लिए आवश्यक कदम उठाने और ट्रांसजेंडर से जुड़े सभी सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया था। उन्हें न केवल समाज से अलग कर दिया गया है बल्कि उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों से भी बहिष्कृत कर दिया गया है। जितना हमारा समाज कई पहलुओं में विकसित हो रहा है लेकिन जब ट्रांसजेंडर लोगों की बात आती है तो समाज उन्हें समाज का अभिन्न अंग मानने से हिचकिचाता है।

मुख्यशब्द:-ट्रांसजेंडर के अधिकार, न्यायिक दृष्टिकोण, शारीरिक रचना, सामान्य जीवन

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 3, March- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

प्रस्तावना

भारतीय न्यायपालिका ने ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालांकि , अभी भी चुनौतियां हैं। ट्रांसजेंडर लोगों को अक्सर भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है। उन्हें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच प्राप्त नहीं है। भारत में एक समाज के रूप में हमेशा लैंगिक जागरूकता की कमी रही है, और यह न केवल समाज के सामान्य रवैये में बल्कि देश के कानून में भी परिलक्षित होता है। विशिष्ट कानून और प्रावधानों की आवश्यकता है जो उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करेगा जो पुरुष या महिला के रूप में अपनी पहचान नहीं रखते हैं। जिन लोगों को आम तौर पर ट्रांसजेंडर कहा जाता है, उनकी कहानी निरंतर दर्द, दुख और पीड़ा की कहानी है। सिर्फ इसलिए कि वे उन के साथ फिट नहीं बैठते हैं जिन्हें समाज ने आम तौर पर स्वीकार किया है "मानदंडों", उन्हें न केवल अधिकारों से इनकार करना पड़ा है बल्कि निरंतर शारीरिक और मानसिक हिंसा भी झेलनी पड़ी है। उन्हें बहिष्कृत माना जाता है और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी से दूर रखा जाता है , चाहे वे सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक हों। उन्हें न केवल अछूत माना जाता है , बल्कि उस समाज पर भी अभिशाप है, जिसमें वे रहते हैं।

• भारत में, इन व्यक्तियों के अधिकार मुख्य रूप से उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विशिष्ट कानून की कमी के कारण संविधान के भाग III के विभिन्न लेखों से उत्पन्न होते हैं।

• हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उनके अधिकार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों में अच्छी तरह से स्थापित हैं जिनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (आईसीसीपीआर), मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर), अत्याचार और अन्य क्रूर के खिलाफ सम्मेलन शामिल हैं। अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा (यूएनसीएटी), मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कन्वेंशन, योग्याकार्टा सिद्धांत और मौलिक स्वतंत्रता I(मानव अधिकारों का यूरोपीय सम्मेलन)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ का मामला सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला था , जिसका फैसला अप्रैल 15, सीकरी की बेंच ने .के.राधाकृष्णन और जस्टिस ए .एस.को जस्टिस के 2014 दिया था। यह निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय की शिकायतों के निवारण से संबंधित है जो देश में अपनी - पहचान और अधिकारों के लिए कानूनी घोषणा चाहते हैं और कहते हैं कि उनकी पहचान की गैर मान्यताभारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15, का उल्लंघन करती है। ट्रांसजेंडर समुदाय 21 और 16 में हिजड़ा, हिजड़ा, कोठी, अरावनी, जोगप्पा, शिव शक्ति आदि शामिल हैं और एक समूह के रूप में-

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 3, March- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

उन्हें अपने लिंग के संबंध में बहुत सारी समस्याओं, गालियों का सामना करना पड़ता है , उन्हें अछूत माना जाता है। इसलिए, लोगों की मानसिकता को बदलने और इस समूह को हमारे देश के नागरिकों के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है, जो संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों की समान सुरक्षा के साथ पुरुष और महिला जैसे अन्य लिंगों के समान हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद " किसी भी व्यक्ति" में कहा गया है कि राज्य कानून के समक्ष 14 समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। यह समान सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है और इसलिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाकर कानूनों की समान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर एक सकारात्मक दायित्व है , ताकि टीजी सहित सभी को कानूनों की समान सुरक्षा का आनंद मिल सके और कोई भी इस तरह की सुरक्षा से वंचित न रहे। यह 'व्यक्ति' शब्द और इसके प्रयोग को केवल पुरुष या महिला तक सीमित नहीं करता है। हिजड़ाट्रांस/जेंडर व्यक्ति जो न तो पुरुष महिला हैं/, अभिव्यक्ति 'व्यक्ति' के अंतर्गत आते हैं और इसलिए, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा के साथ साथ समान नागरिक और नागरिकता अधिकारों- सहित राज्य गतिविधि के सभी क्षेत्रों में कानूनों के कानूनी संरक्षण के हकदार हैं। इस देश केकिसी भी अन्य नागरिक द्वारा आनंद लिया। यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव , इसलिए, कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा को कम करता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। 14

अनुच्छेद किसी भी नागरिक के खिलाफ 16 और 15'सेक्स' के आधार सहित कुछ निश्चित आधारों पर भेदभाव का निषेध करते हैं। वास्तव में , दोनों अनुच्छेद सभी प्रकार के लैंगिक पक्षपात और लिंग आधारित भेदभाव पर रोक लगाते हैं। संविधान निर्माताओं ने लैंगिक भेदभाव के खिलाफ मौलिक अधिकार पर जोर दिया ताकि बाइनरी जेंडर के रूढ़िवादी सामान्यीकरण के अनुरूप न होने के कारण लोगों के साथ अलग व्यवहार करने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रवैये को रोका जा सके। लिंग और जैविक गुण दोनों ही सेक्स के अलगअलग घटकों का निर्माण करते हैं। बेशक-, जैविक विशेषताओं में जननांग, गुणसूत्र और माध्यमिक यौन विशेषताएं शामिल हैं , लेकिन लिंग विशेषताओं में स्वयं की छवि , यौन पहचान और चरित्र की गहरी मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक भावना शामिल है। इसलिए अनुच्छेद 15 के तहत 16 और'लिंग' के आधार पर भेदभाव में लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव शामिल है। अनुच्छेद में प्रयुक्त अभ 16 और 15िव्यक्ति 'लिंग' केवल पुरुष या महिला के जैविक लिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को शामिल करना है जो खुद को न तो पुरुष मानते हैं

और न ही महिला। अनुच्छेद 15(2) से)416 और अनुच्छेद ((4) को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के साथ पढ़ा जाता है , जिसमें भारतीय पक्षकार हैं , सामाजिक समानता का आह्वान करते हैं, जिसे टीजी तभी महसूस कर सकते हैं, जब सुविधाएं और अवसर उनके लिए बढ़ाया जाता है ताकि वे भी अन्य लिंगों के साथ सम्मान और समान स्थिति के साथ रह सकें।

भारतीय न्यायपालिका ने ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल के वर्षों में, भारतीय न्यायपालिका ने ट्रांसजेंडर लोगों को समानता और सुरक्षा के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं।

2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों को "तीसरा लिंग" के रूप में मान्यता दी। इस निर्णय ने ट्रांसजेंडर लोगों को पहचान प्रमाण पत्र, मतदान का अधिकार और अन्य नागरिक अधिकारों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद की।

2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बनाया। इस निर्णय ने ट्रांसजेंडर लोगों को अपना लिंग कानूनी रूप से बदलने में आसानी की।

2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में समान अवसरों को सुरक्षित किया। इस निर्णय ने ट्रांसजेंडर लोगों को समाज में समान भागीदारी करने में मदद की।

ट्रांसजेंडर पहचान की कानूनी मान्यता

यह निर्णय उन व्यक्तियों को शामिल करता है जो तीसरे लिंग के साथ पहचान बनाना चाहते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति जो एक पहचान से दूसरी पहचान में संक्रमण करना चाहते हैं, यानी पुरुष से महिला या इसके विपरीत। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को लिंग पहचान की कानूनी मान्यता देने का निर्देश दिया है, चाहे वह पुरुष, महिला या तीसरा लिंग हो।

तीसरे लिंग के लिए कानूनी मान्यता

तीसरे लिंग की श्रेणी को पहचानने में, न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार तीसरे लिंग के लिए उसी तरह उपलब्ध हैं जैसे वे पुरुषों और महिलाओं के लिए हैं। इसके अलावा , विवाह, गोद लेने, तलाक

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 3, March- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

आदि से संबंधित आपराधिक और नागरिक दोनों कानूनों में तीसरे लिंग की गैर मान्यता तीसरे लिंग के-लिए भेदभावपूर्ण है।

पुरुषमहिला बाइनरी के भीतर संक्रमण करने वाले व्यक्तियों के लिए कानूनी मान्यता/

मान्यता की वास्तविक प्रक्रिया कैसे होगी, इसके लिए न्यायालय ने केवल यह कहा है कि वे व्यक्ति की मानसिकता का पालन करना पसंद करते हैं और "मनोवैज्ञानिक परीक्षण" के विपरीत "जैविक परीक्षण" का उपयोग करते हैं। वे यह भी घोषणा करते हैं कि किसी के लिंग को बदलने की शर्त के रूप मे सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी पर जोर देना अवैध है। अभी यह निश्चित रूप से निर्धारित (एसआरएस) किया जाना है कि वास्तव में लैंगिक पहचान को मान्यता देने के लिए सरकार द्वारा किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। लेकिन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)MSJE) की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में एक उपयोगी संकेतक निहित हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि उसकी कानूनी घोषणाओं को इस रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर लागू किया जाएगा , और रिपोर्ट में ही कहा गया है कि व्यक्तियों को कोई भी विकल्प चुनने का अधिकार होगा पुरुष -, महिला या तीसरा लिंग सर्जरी या हार्मोन से स्वतंत्र उपचार -, ऐसी मान्यता के लिए एक अलग प्रक्रिया प्रदान करने के साथ। निर्णय सरकार को अपने निष्कर्षों को लागू करने के लिए छह महीने का समय देता है।

विशिष्ट और सामान्य घोषणाएँ

• **सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता:** केंद्र और राज्य सरकारों को अस्पतालों में ट्रांसजेंडर लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए उचित उपाय करने और उन्हें अलग सार्वजनिक शौचालय और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा , उन्हें ट्रांसजेंडरों के लिए अलग एचआईवीसीरो निगरानी उपायों को संचालित करने का निर्देश दिया गया है।/

• **सामाजिक:आर्थिक अधिकार-** केंद्र और राज्य सरकारों को समुदाय को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाएं प्रदान करने और समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में मानने के लिए कहा गया है। उन्हें शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नियुक्तियों में आरक्षण बढ़ाने के लिए भी कहा गया है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 3, March- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

• **कलंक और जन जागरूकता:** ये सबसे व्यापक निर्देश हैं केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक - जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा जाता है ताकि ट्रांसजेंडर लोगों को लगे कि वे भी सामाजिक जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें अछूत नहीं माना जाता है; समाज में अपना सम्मान और स्थान वापस पाने के उपाय करें ; और गंभीरता से भय , शर्म, लिंग डिस्फोरिया, सामाजिक दबाव, अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति और सामाजिक कलंक जैसी समस्याओं का समाधान करें।

फिर से, इन घोषणाओं को MSJE विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के साथ जोड़ा जाना है। चूंकि रिपोर्ट का दायरा काफी व्यापक है , यह इसकी कई सिफारिशों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करता है जिनका स्पष्ट रूप से निर्णय में उल्लेख नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए , संकट केंद्रों की स्थापना, और संस्थागत सेटिंग्स में लैंगिक संवेदनशीलता जैसी सिफारिशों को कानूनी रूप से लागू करने योग्य जनादेश या नियमों में आसानी से काम किया जा सकता है।

आईपीसी की धारा को चुनौती देने के लिए 377

निर्णय विभिन्न तरीकों से सुरेश कुमार कौशल में सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्षों का खंडन करता है। मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं:

1. फैसले में कहा गया है कि धारा 377, हालांकि विशिष्ट यौन कृत्यों से जुड़ी है , हिजड़ों सहित कुछ पहचानों पर प्रकाश डालती है। यह यह भी स्वीकार करता है कि धारा को हिजड़ों और ट्रांसजेंडर 377 व्यक्तियों के खिलाफ उत्पीड़न और शारीरिक शोषण के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। निर्णय केवल यह कहता है कि यह उस धारा के दुरुपयोग के समान है जो वास्तव में निर्देशित करता है, इस प्रकार मौलिक अधिकारों के विश्लेषण को अर्थपूर्ण रूप से लागू करने से इंकार कर देता है। अब हमारे पास स्पष्ट रूप से विरोधाभासी खोज है।

2. यह कौशल के कुख्यात तर्क के खिलाफ तर्क देता है कि ट्रांसजेंडर लोग "न्यूनतम अल्पसंख्यक", भले ही संख्या में नगण्य हों , फिर भी मनुष्य हैं और इसलिए उन्हें अपने मानवाधिकारों का आनंद लेने का पूरा अधिकार है।

3. न्यायालय ने पाया कि यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद का 14 उल्लंघन करता है, और यह कि ट्रांसजेंडर सार्वजनिक स्थानों पर , घर में और जेल में , पुलिस द्वारा भी उत्पीड़न, हिंसा और यौन हमले के लिए बेहद संवेदनशील हैं। यदि हम इसे उनके निष्कर्ष के साथ पढ़ें

कि का उपयोग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को परेशान करने और शारीरिक शोषण के लिए किया जाता 377 है, तो हम स्पष्ट रूप से यह लिंक बना सकते हैं कि संविधान के तहत समानता की कसौटी पर 377 खरा नहीं उतरता है।

ट्रांसजेंडर विवाह के अधिकार

ट्रांसजेंडर लोगों के एक व्यक्ति से शादी करने के मौलिक अधिकार की पुष्टि मद्रास कोर्ट ने अरुण कुमार और अन्य बनाम पंजीकरण महानिरीक्षक और अन्य में की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणकुमार और श्रीजा के बीच हिंदू विवाह को बरकरार रखा (एक ट्रांसवुमन), जिसे विवाह रजिस्टर, तूतीकोरिन ने पहले पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था। इनकार करने का कारण यह है कि एक महिला हिंदू विवाह अधिनियम, के तहत 5 की धारा 1955'दुल्हन' बनने के योग्य नहीं होगी। अदालत ने पसंद , व्यक्तिगत स्वायत्तता और शादी की स्वतंत्रता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए मामले के तथ्यों से परे देखा। अभिव्यक्ति, जिसने अंततः ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकार का सम्मान किया। प्रारंभ में , अदालत ने यह स्पष्ट किया कि एक हिंदू पुरुष और एक हिंदू महिला के बीच अनुबंधित विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा के अनुसार का 5नूनी होगा।

यौन अपराधियों के अपने यौन अभिविन्यास का खुलासा करने के अधिकार का प्रयोग करते हुए , अदालत ने आगे कहा कि यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन कर सकता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन कर सकता 14 है। इसने NALSA मामले का हवाला देते हुए कहा कि यौन अभिविन्यास मानव आत्मनिर्णय और आत्मनिर्णय का एक अभिन्न अंग है और यह अनुच्छेद के तहत मानवाधिकारों की गारंटी के अधीन 21 है। एक महिला के रूप में अपने लिंग को व्यक्त करने के लिए आवेदक की पसंद इसलिए है। उसकी स्वायत्तता का दायरा। जबकि यह फैसला ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक बड़ा कानूनी और सामाजिक कदम है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल उन लोगों के लिए शादी करने का अधिकार बढ़ाता है जो खुद को यौन दायरे में देखते हैं, और जिन्हें समलैंगिक नहीं माना जाता है। ये नियम किसी भी तरह से समान सेक्स विवाह को अधिकृत नहीं करते हैं और-LGBTQIA, साथ ही समान सेक्स- के तहत शादी करने का मूल अधिकार 21 संबंधों में लोगों को अभी तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद नहीं दिया गया है।

एकान्तता का अधिकार

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 10 Issue 3, March- 2020
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

में 1955, अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट मॉडल पेनल कोड ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत" मामलों में राज्य के हस्तक्षेप के खिलाफ सुरक्षा का हकदार है, जब वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हैमें 1957 और लौंडेबाज़ी की मूर्तियों को समाप्त कर दिया। ", वोल्फेंडेन कमेटी ने कहा कि (यूके) नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप करना या व्यवहार के किसी विशेष पैटर्न को लागू करने की मांग" करना आपराधिक कानून का कार्य नहीं है। निजी नैतिकता और अनैतिकता का एक क्षेत्र बना रहना चाहिए जो कि संक्षिप्त और कच्चे शब्दों में, कानून का व्यवसाय नहीं। व्यापक डेटा और पक्ष और " विपक्ष में विभिन्न तर्कों की जांच करने के बाद। इसने सिफारिश की कि वयस्क पुरुषों के बीच निजी सहमति से यौन गतिविधि को आपराधिक कानून के संचालन से हटा दिया जाना चाहिए। भारत का कानून द्वा" संविधान गारंटी देता है किरा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।21 अनुच्छेद) ")।

प्रावधान काफी न्यायिक व्याख्या के माध्यम से किया गया है और निजता के नए अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में पढ़ा गया है। खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य में 32, कुछ पुलिस नियमों के पद्य पर विचार करते हुए , जिसमें अधिवास यात्रा सहित निगरानी की अनुमति दी गई थी , ने कहा कि निजता का अधिकार मनुष्य" और यह कि " व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आवश्यक घटक है" के लिए इससे अधिक हानिकारक कुछ भी नहीं है- शारीरिक सुख और या उसकी निजता में सोची " समझी दखलअंदाजी की तुलना में, "गोविंद सिंह बनाम एमपी राज्य में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के 33 अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उत्पन्न निजता के अधिकार पर विचार किया गया था। वें स14 वें और5 अमेरिकी संविधान के संशोधन में कहा गया है कि कानून की उचित प्रक्रिया के बिना" और निजता का " किसी भी व्यक्ति को उसकी जीवन स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा अधिकार, या की व्याख्या की गई है। एक शताब्दी से अधिक के लिए " अकेले रहने का अधिकार" प्रावधान। शुरुआत में निगरानी के नए परिष्कृत तरीकों के विकास के जवाब में अवधारणा विकसित हुई, जैसे वायरटैप इत्यादि , संपत्ति के अधिकार के समान। हाल ही में , एक मानव व्यक्तित्व की गोपनीयता को भी मान्यता दी गई है।

निष्कर्ष

भारत में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए ट्रांसजेंडर लोगों का उत्पीड़न एक बड़ी समस्या बना रहा। ट्रांसजेंडर समुदाय के आसपास के कलंक से संसाधनों का नुकसान होता है और लाभ और स्वीकृति से चक्रीय बहिष्करण होता है। परिणाम पर्याप्त स्कूली शिक्षा और दुरुपयोग की कमी है। यह एक ऐसी

स्थिति की ओर ले जाता है जहां भीख मांगना और सेक्स वर्क ही कमाने और जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। यौन कार्य में जबरन ट्रांस लोगों को यौन संचारित रोग होने , अपने शरीर पर अपना नियंत्रण खोने और अपने मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का जोखिम होता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज के उत्पीड़ित हिस्सों में रहते हैं। समावेश यहां सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। स्वास्थ्य, काम, प्रेम, प्रार्थना, शिक्षा और दूसरों के साथ जुड़े रहने का अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए , बिना किसी नियम और शर्त के। ट्रांसजेंडर समुदायों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चूंकि अधिकांश ट्रांसजेंडर घर से भाग जाते हैं या बेदखल हो जाते हैं , इसलिए वे लंबे समय में अपने जैविक परिवार से समर्थन की उम्मीद नहीं करते हैं। इसके बाद , उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है , खासकर जब वे कमाने की स्थिति में नहीं होते हैं या स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, रोजगार के अवसरों की कमी, या वृद्धावस्था के कारण कमाई की क्षमता कम हो जाती है। अधिकांश नियोक्ता योग्य और कुशल ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी रोजगार से इनकार करते हैं। कुछ राज्यों में स्वरोज़गार हिजड़ों की छिटपुट सफलता की कहानि-याँ हैं जो खाने की दुकानें चलाते हैं, या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हालाँकि , वे अपवाद हैं। आजीविका विकल्पों की कमी ट्रांसजेंडर लोगों के एक महत्वपूर्ण अनुपात के लिए यौन कार्य को चुनने या जारी रखने का एक प्रमुख कारण है, जो इससे जुड़े एचआईवी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के साथ है।

संदर्भग्रंथ सूची

1. कैरोल, एल। और गिलरॉय , पीजे (2002)। काउंसलर की तैयारी में ट्रांसजेंडर मुद्दे। काउंसलर एजुकेशन एंड सुपरविजन, 41(3), 233-242।
2. Currah Paisely, Juang, Richard M. और Minter, Shannon Price Transgender Rights (यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिनेसोटा प्रेस, मिनेसोटा, पहला संस्करण, 18 अगस्त 2006)।
3. डैश, जतींद्र (2 जून 2016)। "ओडिशा ट्रांसजेंडर समुदाय को कल्याण देने वाला पहला राज्य बना" रायटर।
4. डेविड एफ। ग्रीनबर्ग।, "समलैंगिकता का निर्माण", शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस, 1990
5. डेविस, किंग्सले: 'ह्यूमन सोसाइटी', सुरजीत प्रकाशन, दिल्ली, प्रकाशन वर्ष, 2002
6. डेकर, आर.जे. और वैन डे पोल , एल.सी. (1989) द ट्रेडिशन ऑफ़ फीमेल ट्रांसवेस्टिज़्म इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। न्यूयॉर्क: सेंट मार्टिन प्रेस।

7. देवासिया, टी.के. "क्यों केरल की मुफ्त सेक्स-चेंज सर्जरी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक नई जीवनरेखा पेश करेगी", स्क्रॉल.इन। 19 मार्च 2016 को पुनःप्राप्त।
8. एल्किन्स, आर., और किंग , डी. (2006)। ट्रांसजेंडर घटना। थाउजेंड ओक्स , सीए: सेज पब्लिकेशंस।
9. फैजी, आसफ ए.ए. आउटलाइन्स ऑफ मोहम्मडन लॉ 11 (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस , नई दिल्ली, 5वां संस्करण, 2009)।
10. फ़ोर्सिथ, डेविड पी. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ ह्यूमन राइट्स 2672 (ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, 2009)।
11. गौतम भान , (2006), "सेक्सुअल राइट्स एंड सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया" , सीआरईए, नई दिल्ली।
12. हरा (1998)। "ट्रांससेक्सुअलिज्म: हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, 1952 टू प्रेजेंट।" ट्रांसजेंडर पहचान में वर्तमान अवधारणाएं। डलास डेनी , एड। न्यूयॉर्क, एनवाई: गारलैंड पब्लिशिंग, इंक। ग्रीनबर्ग, जूली ए। इंटरसेक्सुअलिटी एंड द लॉ: व्हाई सेक्स मैटर्स (न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012)।
13. ग्रीनबर्ग, जूली ए।, "इंटरसेक्सुअलिटी एंड द लॉ: व्हाई सेक्स मैटर्स" एनवाईयू प्रेस 2012।
14. Harrain, अरविंद और गुप्ता, आलोक "लॉ लाइक लव: क्वीर पर्सपेक्टिव्स ऑन लॉ" योडा प्रेस , 2011।
15. हेर्ड्ट, जी., "थर्ड सेक्स, थर्ड जेंडर, बियॉन्ड सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म इन कल्चर एंड हिस्ट्री" , जोन बुक्स, न्यूयॉर्क, 1994।
16. हिर्श, ई.डी., जूनियर, ई.डी., केट, जे.एफ., ट्रेफिल, जे. (2002) "ट्रांसवेस्टाइट", द न्यू डिक्शनरी ऑफ कल्चरल लिटरेसी, तीसरा संस्करण।